

[2024] 3 एस.सी.आर. 679: 2024 आई.एन.एस.सी. 221

पुनीत सभरवाल
बनाम
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(आपराधिक अपील संख्या 1682/2024)
19 मार्च 2024

[न्या. विक्रम नाथ और न्या. के.वी. विश्वनाथन]

विचारार्थ मुद्दा

अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। जबकि अपीलकर्ता-पी के खिलाफ आरोप भा.दं.सं. की धारा 109 के तहत धारा 13(1)(ड) और 13(2) के अनुसार, अपीलकर्ता-आर के खिलाफ आरोप भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(ड.) के सहपठित धारा 13(2) के तहत तय किया गया था। संक्षेप में, आरोप यह था कि अपीलकर्ता-आर के पास आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति थी और अपीलकर्ता आर के पुत्र अपीलकर्ता-पी ने उक्त अपराधिक कृत्य के लिए उसे उकसाया है। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की याचिकाओं को खारिज कर दिया। विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या निचली न्यायालयों द्वारा दिनांक 21.02.2006 को दायर आरोप पर आदेश और 28.02.2006 को तय आरोपों को रद्द करने तथा निरस्त करने से इनकार करना न्यायोचित था।

हेडनोट्स

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 - धारा 13(1)(ड.) सहपठित धारा 13(2) - दंड संहिता, 1860 - धारा 109 - आयकर अधिनियम, 1961 - अपीलकर्ता-आर को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा 31.08.2007 के आदेश द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था - यह तर्क दिया गया था कि पुनः खोलने की कार्यवाही में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए आदेशों के मददेनजर, जो सी.बी.आई. द्वारा की गई तलाशी पर आधारित थे, आपराधिक मामले को आगे बढ़ाने का कोई आधार नहीं है - अपीलकर्ता-पी के संबंध में आगे तर्क दिया गया कि वह जांच अवधि के लम्बे समय तक नाबालिग था और इसलिए उसे आरोपी नहीं बनाया जा सकता था - औचित्य:

अभिनिर्धारित: वर्तमान मामले में, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश और उसके बाद के मूल्यांकन आदेशों सहित आयकर अधिकारियों के आदेशों का सत्यापन मूल्य निर्णायक सबूत नहीं है, जिस पर आरोपी व्यक्तियों को बरी किया जा सके - ये आदेश, उनके निष्कर्ष और उनका सत्यापन मूल्य एक पूर्ण परीक्षण का विषय है- इसके मददेनजर, उच्च न्यायालय ने आयकर अधिकारियों के आदेशों के आधार पर अपीलकर्ताओं को बरी नहीं किया है - यहां अपीलकर्ताओं पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत वाद चलाया जा रहा है, जबकि वे आयकर अधिनियम के तहत दोषमुक्ति का सहारा लेना चाहते हैं - इन दोनों कार्यवाहियों में न्यायनिर्णयन का दायरा काफी अलग है - आयकर कार्यवाही करने वाला प्राधिकारी और अभियोजन चलाने वाला प्राधिकारी पूरी तरह से अलग है (सी.बी.आई.) - सी.बी.आई. आयकर कार्यवाही में पक्ष नहीं थी और न ही हो सकती थी - भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए थे, जबकि अपीलकर्ता आयकर

अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा दर्ज निष्कर्षों पर भरोसा करना चाहते हैं – दोनों कार्यवाहियों में निर्णय स्पष्ट रूप से भिन्न हैं और इसलिए बादवाले में निष्कर्ष पहलेवाले में अभियुक्त व्यक्तियों के निर्वहन के लिए आधार नहीं हो सकते हैं – आयकर अधिनियम के तहत कार्यवाही और इसके साक्ष्य मूल्य परीक्षण का विषय बने हुए हैं और उन्हें किसी अभियुक्त व्यक्ति के निर्वहन के लिए निर्णायक सबूत के रूप में नहीं माना जा सकता है – जहां तक अपीलकर्ता-पी की अल्पवयस्कता के बारे में विवाद का संबंध है, इसने न्यायालय को रोकने की जरूरत नहीं है क्योंकि जांच अवधि के अंतिम सात वर्षों के दौरान वह निश्चित रूप से नाबालिक नहीं था – इस प्रकार, अपीलकर्ताओं ने आरोप पर आदेश दिनांक 21.02.2006 और आरोप तय करने के आदेश दिनांक 28.02.2006 को हस्तक्षेप का मामला नहीं बनाया है। [पैरा 32, 37, 40, 23, 44]

उद्धृत निर्णयज विधि

कर्नाटक राज्य बनाम सेल्वी जे. जयललिता और अन्य
[\[2017\]5 ए सी आर 525](#): (2017) 6 SCC 263 - पर
भरोसा किया गया।

राधेश्याम केजरीवाल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य
[\[2011\] 4 एससीआर 889](#): (2011) 3 एस.सी.सी. 581;
आशु सुरेन्द्रनाथ तिवारी बनाम सीबीआई और अन्य (2020)
9 एस.सी.सी. 636; *जे. शेखर बनाम प्रवर्तन*
निदेशालय [\[2022\] 3 एससीआर698](#): (2022) 7 एस.सी.सी.
370 - अनुपयुक्त माना गया।

पी. नल्लामल बनाम राज्य (1996) 6 एस.सी.सी. 559; विश्वनाथ चतुर्वेदी (3) बनाम भारत संघ और अन्य[2007] 3 एससीआर448: (2007) 4 एस.सी.सी. 380; श्योराज सिंह अहलावत एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य[2012] 10 एससीआर 1034: (2013) 11 एस.सी.सी. 476; राज्य टी. एन. वी. सुरेश राजन और अन्य[2014] 1 एससीआर 135: (2014) 11 एस.सी.सी. 709; सी.बी.आई. और अन्य बनाम वि० थोमण्डरु हन्ना विजयलक्ष्मी और अन्य [2021] 13 एससीआर 364: (2021) 18 एस.सी.सी. 135; ओंकार नाथ मिश्रा और अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) और अन्य [2007]13 एससीआर 716: (2008) 2 एस.सी.सी. 561; कर्नाटक राज्य वी. एल. मुनीस्वामी और अन्य.[1977] 3 एससीआर 113: (1977) 2 एस.सी.सी. 699 - संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988; दंड संहिता, 1860; आयकर अधिनियम, 1961

मुख्य शब्दों की सूची

अनुपातहीन संपत्ति; आय का ज्ञात स्रोत; आयकर रिटर्न; आयकर कार्यवाही; साक्ष्य मूल्य; निर्णायक सबूत; रद्द करना; आपराधिक कार्यवाही; आरोप तय करना; स्राव; नागरिक अधिनिर्णय में छूट; आपराधिक अभियोजन; आपराधिक जाँच।

से उत्पन्न मामले

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं. 1682/2024 का

2010 के रि.या.आप. सं. 200/2010, उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्णय और आदेश दिनांक 01.12.2020 के साथ आपराधिक अपील संख्या 1683/2024

पक्षकारों के लिए उपस्थिति

मुकुल रोहतगी, सिद्धार्थ अग्रवाल, अर्धेदु मौली प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता , निनाद लॉड, सुश्री रंजीता रोहतगी, सुश्री श्रीका गौतम, करण माथुर, सुश्री रशिका नारायण, संग्रामसिंह आर.भोंसले, जूबिन दश,श्री समृद्धि एस जैन, नृपाल ए दिनकर, सुश्री पुष्कर ए भोंसले, नमन शेरस्त्र, महेश जाधव, अपीलार्थी के लिए अधिवक्तागण।

के.एम. नटराज, अतिरिक्त महाधिवक्ता मुकेश कुमार मरोरिया, संजय कुमार त्यागी, राजन कुमार चौरसिया, पद्मेश मिश्रा, नवनजय महापात्रा, शांतनु शर्मा, बी.के.सतीजा, मनोज के. मिश्रा, अभिनव एस. रघुवंशी, प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्तागण ।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्या. के.वी. विश्वनाथन

1. अनुमति दी गई।

2. वर्तमान अपीलें रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 200/2010 और रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 339/2010 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 01.12.2020 के निर्णय की शुद्धता पर सवाल उठाती हैं। बदले में, उच्च न्यायालय में इन कार्यवाहियों ने दिनांक 21.02.2006 के आरोप पर आदेश के साथ-साथ विशेष न्यायाधीश, दिल्ली द्वारा 28.02.2006 को तय किए गए आरोपों को चुनौती दी। जबकि अपीलकर्ता पुनीत सभरवाल के खिलाफ आरोप भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (ड.) और 13 (2) के साथ पठित धारा 109 भा.दं.सं. के तहत था, अपीलकर्ता आरसी सभरवाल के खिलाफ आरोप भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (ड.) के साथ 13 (2) के तहत था। सार रूप में, आरोप यह था कि अपीलकर्ता आरसी सभरवाल के पास आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति थी और अपीलकर्ता आरसी सभरवाल के बेटे पुनीत सभरवाल ने उक्त अपराध के कमीशन में उसे उकसाया है। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा याचिकाओं को खारिज कर दिया। व्यथित होकर अपीलकर्ता हमारे पास आया।

संक्षिप्त तथ्य:

3. दिनांक 23.08.1995 को स्रोत सूचना के आधार पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नई दिल्ली, जिला नई दिल्ली ने अपराध संख्या आरसी-74(ए)/95-डीएलआई में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की।
4. 28.08.1995 को दोनों अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। संक्षेप में, आरोप-पत्र में निर्धारित आरोप इस प्रकार थे:
- (i) अपीलकर्ता आरसी सभरवाल नई दिल्ली नगर निगम में अतिरिक्त मुख्य वास्तुकार थे;

- (ii) वर्ष 1968 से विभिन्न पदों पर तैनात रहते हुए उन्होंने भारी संपत्ति अर्जित की थी जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक है;
- (iii) यह कि परिसंपत्तियां आर.सी.सभरवाल द्वारा या तो उनके नाम पर या उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर अर्जित की गई थीं। संपत्ति का विवरण निर्धारित किया गया था।
- (iv) जांच अवधि अपीलकर्ता आर.सी.सभरवाल के नई दिल्ली नगर निगम में सहायक वास्तुकार के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात् 20.08.1968 से लेकर तलाशी की तिथि अर्थात् 23.08.1995 तक ली गई।
- (v) अपीलार्थी आर.सी.सभरवाल की वेतन से कुल आय 10,00,042/- रुपये थी- कई वर्षों के वेतन का विस्तृत विवरण दिया गया था। उनकी पत्नी के वेतन से आय 8,72,249.42 रुपये थी।
- (vi) उपरोक्त वेतन आय के अलावा, आरोपी आर.सी.सभरवाल के कई उद्यमों, कंपनियों और न्यासों से प्राप्त आय भी बताई गई। किराये की आय के साथ-साथ बीमा पॉलिसियों द्वारा आय और ब्याज से होने वाली आय का भी उल्लेख किया गया। सभी आय की गणना करने के बाद, यह उल्लेख किया गया कि कुल आय 1,23,18,091 रुपये थी।
- (vii) 18,23,108/- रुपए तक के व्यय का विवरण दिया गया। 4,25,450/- रुपए की चल संपत्ति का उल्लेख किया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ता आर.सी. सभरवाल और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर 82,63,417/- रुपए के बैंक बैलेंस थे।

- (viii) जहां तक अचल संपत्तियों का संबंध है, चौबीस संपत्तियों का एक सेट निर्धारित किया गया था, जिसका कुल मूल्य 2,27,94,907/- रुपये था।
- (ix) अपीलकर्ता आर.सी. सभरवाल अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति का संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके।
- (x) अपीलकर्ता आर.सी. सभरवाल अपने पुत्र, अपीलकर्ता पुनीत सभरवाल के साथ आपराधिक षड्यंत्र में एक पक्षकार थे, जिन्होंने विशेष धारक बांड के नकदीकरण के माध्यम से 79 लाख रुपये प्राप्त किए थे और उन्होंने साजिशकर्ता के रूप में अपराध के घटित होने में सहायता की थी।
- (xi) उक्त आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाते हुए, आर.सी.सभरवाल ने मैसर्स मोरनी देवी बृज लाल ट्रस्ट, मैसर्स मोरनी मर्चेन्ट्स और अन्य फर्मों के नाम पर संपत्ति अर्जित की, जिसमें एकमात्र लाभार्थी अपीलकर्ता पुनीत सभरवाल, उनका बेटा था। यह भी आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ता आर.सी.सभरवाल ने उक्त न्यासों/फर्मों के सभी वित्तीय मामलों को निपटाया।
- (xii) यह निष्कर्ष निकाला गया कि अपीलकर्ता आर.सी.सभरवाल और पुनीत सभरवाल के खिलाफ 120-बी भा.दं.सं. सहपठित 5(2) सहपठित 5(1)(ड.) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के तहत दंडनीय अपराध के लिए एक आपराधिक मामला बनाया गया था, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(2) सहपठित 13(1)(ड.) के अनुरूप है।

(xiii) इसके अलावा, यह निष्कर्ष निकाला गया कि आरसी सभरवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5(2) के साथ पठित 5(1)(ड.) के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के 13(2) के साथ पठित 13(1)(ड.) के तहत उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक 2,05,63,341/- रुपये की संपत्ति रखने का मामला बनता है।

आरोप पर आदेश:

5. 21.02.2006 को, विशेष न्यायाधीश ने निर्वहन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर विस्तृत चर्चा करने के बाद आरोप पर एक आदेश सुनाया। विद्वान न्यायाधीश ने आरोप पर आदेश में निम्नलिखित निष्कर्ष दिए:

- (i) अभिव्यक्ति "आय के ज्ञात स्रोत" में केवल अभियोजन पक्ष को ज्ञात स्रोतों का संदर्भ हो सकता है;
- (ii) अभियोजन पक्ष से अभियुक्त व्यक्तियों की फर्मों की जानकारी की अपेक्षा नहीं की जा सकती;
- (iii) अभियुक्त व्यक्तियों की फर्मों से आय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत अभियुक्त के विशेष ज्ञान के भीतर होगी और यह अभियुक्त के लिए आय से अधिक संपत्ति के आरोप के लिए 'संतोषप्रद लेखा' देने के लिए था, जिसे केवल वाद में निर्वहन किया जा सकता है;
- (iv) जहां तक अपीलकर्ता पुनीत सभरवाल का संबंध है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अनिल मेहता के बयान पर भरोसा किया गया कि अपीलकर्ता आर.सी.

सभरवाल ने अपने बेटे और बहन के नाम पर बेनामी संपत्तियां खरीदी थीं;

- (v) विद्वान न्यायाधीश ने *पी. नल्लामल बनाम राज्य, (1996) 6 एस.सी.सी. 559 पर भरोसा किया*, जिसमें इस न्यायालय ने माना कि एक गैर-सरकारी कर्मचारी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (ड.) सहपठित 13 (2) के तहत अपराध के दुष्प्रेरण के लिए लोक सेवक के साथ एक ही न्यायालय में वाद चलाया जा सकता है।
- (vi) जहां तक अपीलकर्ता पुनीत सभरवाल का संबंध है, धारा 109 भा.दं.सं. के साथ धारा 13(1)(ड.) सहपठित 13(2) के तहत अपराध करने में दोनों अपीलकर्ताओं की संलिप्तता के संबंध में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री से उत्पन्न गंभीर संदेह के अस्तित्व को दर्शाने के लिए पर्याप्त सामग्री थी, तथा जहां तक आर.सी. सभरवाल का संबंध है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(ड.) के साथ 13(2) के तहत अपराध करने में दोनों अपीलकर्ताओं की संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त सामग्री थी। ।

आरोप :

6. इसके बाद, दिनांक 28.2.2006 के आदेश द्वारा, आरोप भी तय किए गए थे। सुविधा के लिए, दोनों अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप नीचे दिए गए हैं:

"आरोप सं.1

यह कि आप एक लोक सेवक हैं जो 20.8.1968 से 23.08.1995 की अवधि के दौरान अतिरिक्त मुख्य

वास्तुकार, दिल्ली महानगर निगम, नई दिल्ली के रूप में कार्यरत थे, आपकी और आपके परिवार के सदस्यों की आय के मुकाबले 3,10,58,324/- रुपये की संपत्ति कब्जे में पाए गए थे, 1,23,18,091/- रुपये और व्यय 18,23,108/- रुपये और आपके पास 2,05,63,341/- रुपये की कुल संपत्ति पाई गई थी जो आपके ज्ञात से अधिक थी आय के स्रोत और जिनका आप संतोषजनक रूप से हिसाब नहीं दे सके और इस तरह आपने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) के तहत दंडनीय अपराध किया और जो मेरे संज्ञान में है।

और मैं आपको निर्देश देता हूँ कि उक्त अपराध के लिए इस न्यायालय द्वारा वाद चलाया जाए।

आरोप सं. 2

यह कि आपके पिता श्री आर.सी. सभरवाल एक लोक सेवक थे तथा 20.08.1968 से 23.08.1995 की अवधि के दौरान दिल्ली महानगर निगम, नई दिल्ली में अतिरिक्त मुख्य वास्तुकार के रूप में कार्यरत थे, आपने जानबूझकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(ड.) के साथ 13(2) के तहत अपराध करने में उनकी सहायता की, क्योंकि उनके पास 3,10,58,324/- रुपये की संपत्ति पाई गई, जबकि उनकी और उनके परिवार के सदस्यों की आय 1,23,18,091/- रुपये और व्यय 18,23,108/- रुपये था और उनके पास कुल 3,10,58,324/- रुपये की संपत्ति पाई गई। 2,05,63,341/-, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अनुपातहीन थे और जिसका वे संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके और इस प्रकार आपने भारतीय दंड संहिता की धारा

109 सहपठित 13(1)(ड.) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के तहत और मेरे संज्ञान में उकसाने का अपराध किया।

एतद्वारा आपको उक्त अपराध के लिए इस न्यायालय द्वारा वाद चलाने का निर्देश दिया जाता है।

[महत्त्व सन्निविष्ट]

आयकर संबंधी आदेश:

- 7 आरोप और आरोप निर्धारण के संबंध में विचारण न्यायालय के आदेश के बाद, तथा उच्च न्यायालय द्वारा अपने समक्ष प्रस्तुत याचिकाओं का निपटारा करने से पहले, जिसके परिणामस्वरूप विवादित आदेश आया, आयकर के मोर्चे पर कुछ घटनाक्रम घटित हुए।
8. आयकर अपीलीय अधिकरण ने वर्ष 1989-1990 से 1995-1996 और 1997-1998 से 2001-2002 के लिए कर निर्धारण को पुनरीक्षण के संबंध में कर निर्धारकों [जो यहाँ अपिलार्थियों में भी शामिल हैं] और विभाग द्वारा दायर अपीलों और जवाबी अपीलों पर 31.08.2007 को अपना निर्णय सुनाया।
9. इससे पहले, कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण वर्ष 1996-1997 के लिए कर निर्धारिती का पुनरीक्षण किया और अपिलार्थियों और अन्य निर्धारितियों के लिए कुछ परिवर्धन और विलोपन किए थे। इसके बाद, आकर आयुक्त (अपील) ने निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए कुछ परिवर्धन और विलोपन को मंजूरी देते हुए या अस्वीकार करते समय फिर से शुरू करने को वैध बताया । तथापि, अधिकरण ने दिनांक 07.03.2005 को यह निर्णय दिया था कि कर निर्धारण वर्ष 1996-1997 के लिए कर निर्धारण को पुनः शुरू करना न्यायोचित नहीं था क्योंकि कर निर्धारण को पुनः शुरू करने की

की पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप , उक्त आदेश में न्यायाधिकरण द्वारा परिवर्धन या विलोपन के गुणों के बारे में मुद्दों पर निर्णय नहीं लिया गया था।

10. तथापि, अधिकरण ने वर्ष 1989-1990 से 1995-1996 और 1997-1998 से 2001-2002 के लिए कर निर्धारण को पुनः शुरू करने के संबंध में अपीलों और प्रति-अपीलों की सुनवाई करते हुए दिनांक 31-08-2007 के अपने आदेश में पाया कि उक्त निर्धारण वर्षों के लिए मूल्यांकन को पुनः शुरू करने के लिए सामग्री मौजूद थी। इसके बाद, इसने अपीलार्थी आर.सी. सभरवाल के विचाराधीन वर्षों में मूल आधार पर किए गए परिवर्धनों और अस्वीकृत परिवर्धनों की योग्यता की जांच की। इसने नोट किया कि न्यायाधिकरण को कर निर्धारण वर्ष 1996-1997 में कर निर्धारण अधिकारी और सीआईटी (अपील) द्वारा किए गए परिवर्धनों और विलोपनों की जांच करने की आवश्यकता थी, क्योंकि अधिकरण के विचार में, विचाराधीन अन्य सभी वर्षों में परिवर्धनों का मुद्दा आधार कर निर्धारण वर्ष 1996-1997 से निकला था।
11. विभिन्न परिवर्धन और विलोपन पर विचार करते समय, न्यायाधिकरण ने अन्य बातों के साथ-साथ मूल्यांकन अधिकारी द्वारा किए गए परिवर्धन पर विचार किया [जिसे बाद में कर आयुक्त (अपील) द्वारा हटा दिया गया था] मैसर्स मोरनी देवी बृज लाल ट्रस्ट की आय के संबंध में अपीलकर्ता आर.सी. सभरवाल के साथ मूल्यांकन अधिकारी ने इन परिवर्धनों को इस आधार पर उचित ठहराया था:
 - (i) उक्त न्यास के संस्थापकों श्रीमती मोरनी देवी और श्री बृजलाल द्वारा किए गए निवेश के स्रोत को स्पष्ट नहीं किया गया था।

- (ii) विशेष धारक बांड जो उक्त न्यास के खाते में भुनाए गए थे, न्यास से निवेश से बाहर नहीं थे क्योंकि उक्त बॉन्ड ट्रस्ट के गठन से पहले खरीदे गए थे। किसी अन्य व्यक्ति ने राशि का निवेश किया था और इसे न्यास के हाथों में भुनाया था।
- (iii) न्यास के संस्थापक को उक्त बांडों को खरीदने के लिए आवश्यक आय नहीं दिखाई गई थी।

12. कर आयुक्त (अपील) ने इन परिवर्धन को हटा दिया था। इस मुद्दे की जांच करने और उक्त विलोपन को मंजूरी देने में, न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित निष्कर्ष दिए:

- (i) अपीलकर्ता आरसी सभरवाल के पास न्यास के संस्थापकों श्रीमती मोरनी देवी और श्री बृज लाल के निवेश के स्रोत की व्याख्या करने का कोई दायित्व नहीं था।
- (ii) न्यास स्वयं अपनी आय विवरणी अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही दाखिल करता रहा है और इसका अलग से मूल्यांकन किया गया था। यह दिखाने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया कि करदाता ट्रस्ट का बेनामी मालिक था।
- (iii) जहां तक विशेष वाहक बांडों की जमाराशियों का प्रतिनिधित्व करने वाले क्रेडिटों का संबंध है, विशेष वाहक बांड (उन्मुक्ति और छूट) अधिनियम, 1981 की धारा 3 पर भरोसा करते हुए यह माना गया था कि किसी भी व्यक्ति जिसने विशेष वाहक बांडों की सदस्यता ली है या अन्यथा प्राप्त कर लिया है, को किसी भी प्रयोजन के लिए, ऐसे

बांडों के अर्जन की प्रकृति और स्रोत का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं होगी और यह कि बांडधारकों को पूर्ण उन्मुक्ति प्रदान की गई है। मूल्यांकन अधिकारी की धारणा कि धारक बांड न्यास द्वारा अधिग्रहित किए गए थे, सही नहीं माना गया था;

- (iv) अधिकरण द्वारा आयकर आयुक्त (अपील) के निष्कर्षों का संदर्भ दिया गया है कि न्यास द्वारा विशेष धारक बांडों को भुनाने के लिए प्रस्तुत किया गया था और यह कि कर निर्धारण अधिकारी ने जांच करने और ऐसे बांडों के अर्जन की प्रकृति और स्रोत की व्याख्या करने के लिए न्यास को बुलाने में अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया है।
- (v) कर आयुक्त (अपील) के निष्कर्षों को न्यायधिकरण के संदर्भ में दिया गया है जो कि न्यास का अर्थ विशेष धारक बांड (उन्मुक्ति और छूट) अधिनियम के अंतर्गत होगा।
- (vi) अधिकरण तब आयकर आयुक्त (अपील) के निष्कर्षों को उद्धृत करता है जिसके अंतर्गत यह माना गया था कि एक बार निर्धारित कर लिया गया है और विभाग ने न्यास के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया है तो किसी प्रतिकूल सामग्री को रिकार्ड में लाए बिना इसे उलटा नहीं जा सकता। यह दिखाने की जिम्मेदारी विभाग की थी कि न्यास बेनामी था और इस संबंध में कोई सबूत नहीं था।
- (vii) न्यायाधिकरण ने तब न्यास (अपील) के निष्कर्षों को उद्धृत किया जिसके तहत यह निष्कर्ष निकाला गया था कि कर निर्धारण अधिकारी यह साबित करने में सक्षम नहीं था कि न्यास बेनामी था और न्यास की आय आरसी सभरवाल की थी। ऐसा करते हुए

8,14,230/- रुपये की राशि को हटा दिया गया। इस परिवर्धन/विलोपन के संबंध में अधिकरण द्वारा आगे कोई टिप्पणी नहीं की गई।

13. इसके बाद, अपीलकर्ता पुनीत सभरवाल को मोरनी देवी बृज लाल ट्रस्ट से धन प्राप्त होने के मुद्दे पर, जो अपीलकर्ता आरसी सभरवाल से संबंधित माना गया था, यह पाया गया कि चूंकि मोरनी देवी बृज लाल ट्रस्ट एक अलग इकाई थी और चूंकि अपीलकर्ता पुनीत सभरवाल अपना व्यवसाय चला रहे थे, इसलिए इसकी आय अपीलकर्ता आरसी सभरवाल के हाथों में नहीं जोड़ी जा सकती थी। न्यायाधिकरण ने विभिन्न अन्य फर्मों और निर्धारितियों के संबंध में परिवर्धन/विलोपन पर भी विचार किया, जिन्हें हम संक्षिप्तता के प्रयोजनों के लिए यहां निर्धारित नहीं करना चाहते हैं।
14. अंततः, केवल नाबालिगों के संयुक्त बैंक खातों में जमा के पहलू पर, जहां तक यह सीमा अवधि के भीतर आता है, न्यायाधिकरणों ने इस मुद्दे को नए सिरे से तय करने के लिए मामले को वापस मूल्यांकन अधिकारी को बहाल कर दिया और राजस्व की अपील को उस सीमित सीमा तक अनुमति दी गई। ऐसा मानते हुए अपीलों का निस्तारण कर दिया गया। परिणामस्वरूप, 30.12.2009 को, निर्धारण अधिकारी ने प्रेषित पहलू पर निर्धारिती के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए एक मूल्यांकन आदेश पारित किया और निर्धारिती पुनीत सभरवाल की आय 67,550/- रुपये तय की गई।

उच्च न्यायालय में कार्यवाही:

15. विचारण न्यायालय के आदेशों के बाद आए इन आदेशों को उच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया। यह तर्क दिया गया था कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा फिर से खोलने की कार्यवाही में किए गए आदेशों के

मददेनजर, जो पुनरीक्षण सीबीआई द्वारा की गई तलाशी पर आधारित था, आपराधिक वाद के साथ आगे बढ़ने का कोई आधार नहीं है। अपीलकर्ता पुनीत सभरवाल के संबंध में आगे यह तर्क दिया गया कि वह जांच अवधि के एक बड़े हिस्से के लिए नाबालिग था और इसलिए उसे आरोपी नहीं बनाया जा सकता था।

16. दलीलों को निरस्त करते हुए, उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार आयोजित किया:

- (i) केवल इसलिए कि जांच की अवधि के दीर्घ काल तक , अपीलकर्ता पुनीत सभरवाल नाबालिग था, यह अपने आप में इस तथ्य की अवहेलना करने का कारण नहीं होगा क्योंकि कम से कम जाँच अवधि के सात वर्षों के दौरान वह एक वयस्क था;
- (ii) विशेष वाहक बांड (उन्मुक्ति एवं छूट) अधिनियम, 1981 की धारा 3(2) के अंतर्गत इस अधिनियम के अंतर्गत उन्मुक्तियां भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अथवा इसी प्रकार के अपराधों के अंतर्गत किए गए अपराधों पर लागू नहीं होती हैं;
- (iii) अभियोजन पक्ष ने कई गवाहों के बयानों पर भरोसा करने की मांग की है;
- (iv) कर्णाटक राज्य बनाम सेल्वी जे. जयललिता एवं अन्य के मामले में/ (2017) 6 एस.सी.सी. 263, इस न्यायालय ने माना था कि आयकर निर्धारण आदेश आय पर कर देयता का उपयुक्त है और वे आवश्यक रूप से आय के स्रोतों की वैधता को प्रमाणित नहीं करते हैं;

- (v) जो प्रासंगिक था वह यह था कि क्या इस बात की प्रबल आशंका थी कि अभियुक्त ने अपराध किया है और उच्च न्यायालय के विचार में वास्तव में विचारण के लिए एक मामला था। ऐसा मानते हुए रिट याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

विवाद:

17. हमारे सामने अपीलकर्ताओं के विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी और श्री सिद्धार्थ अग्रवाल ने उच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए तर्कों को दोहराया।
18. जहां तक अपीलकर्ता पुनीत सभरवाल का संबंध था, यह निम्नानुसार तर्क दिया गया था:
- (i) उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की कि केवल इसलिए कि जांच की अवधि के दीर्घ काल तक, अपीलकर्ता नाबालिग था, यह अपने आप में इस तथ्य की अवहेलना का कारण नहीं होगा कि जांच अवधि के कम से कम सात वर्षों के दौरान वह एक वयस्क था;
- (ii) जो विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता(ओं) के खिलाफ आरोपों का समर्थन करने में गलती की, केवल इसलिए कि उनका नाम मैसर्स मोरनी देवी बृज लाल ट्रस्ट के न्यास विलेख में लाभार्थी के रूप में नामित किया गया था। इसके अलावा, न्यायालय ने इस आरोप का समर्थन करने में गलती की कि ट्रस्ट के पास किस अपीलकर्ता की बेनामी संपत्ति थी आर.सी. सभरवाल इसके लाभ अर्जित करने वाले मालिक थे;

- (iii) चूंकि उक्त अवधि के 7 वर्षों को छोड़कर चेक अवधि के बीस वर्षों में से अपीलकर्ता पुनीत सभरवाल नाबालिग था, इसलिए यह तर्क दिया गया कि उक्त अपीलकर्ता अपने पिता के साथ कैसे षडयंत्र रच सकता था। यह कानूनी प्रक्रिया के घोर दुरुपयोग की ओर संकेत देता है।
- (iv) यह कि जैसा आरोप लगाया गया है, यह इंगित करता है कि अपीलकर्ता पुनीत सभरवाल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही केवल उसके पिता के पुत्र होने के आधार पर की गई है और भारतीय दंड संहिता की धारा 109 के तहत कोई भी सामग्री आकर्षित नहीं हुई थी;
- (v) उच्च न्यायालय ने आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा अपीलकर्ता के पिता को दोषमुक्त किए जाने को ध्यान में न रखकर गलती की; कि आयकर अपीलीय अधिकरण ने अपने दिनांक 31-08-2007 के आदेश द्वारा यह स्पष्ट निष्कर्ष दिया कि पिता उक्त न्यास की संपत्तियों को बेनामी नहीं मानता था और यहां तक कि वह सीमित मुद्दा जिस पर आयकर अपीलीय अधिकरण ने मामले को रिमांड पर लिया था, 30-12-2009 के आदेश द्वारा कर निर्धारण अधिकारी ने जमाराशियों को पुत्र का आय पाया।

19. जहां तक अपीलकर्ता आरसी सभरवाल का संबंध है, तर्क काफी हद तक 31.08.2007 के आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के आधार पर था। तर्क इस प्रकार थे:

- (i) आयकर अपीलीय अधिकरण के आदेश में स्पष्ट रूप से यह माना गया है कि विभिन्न संस्थाओं की संपत्तियों से उत्पन्न आय को अपीलकर्ता की आय में गलत तरीके से जोड़ा गया था;

- (ii) अपीलकर्ता उन संस्थाओं का मालिक नहीं था और परिणामस्वरूप उन संस्थाओं द्वारा धारित संपत्तियों और धन को अपीलकर्ता आर.सी. सभरवाल के स्वामित्व में नहीं रखा जा सकता था;
- (iii) तेरह वर्षों के लिए पुनर्निर्धारण स्वयं सीबीआई की शिकायत पर किया गया था;
- (iv) विचारण न्यायालयों ने सेल्वी जे. जयललिता (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय के फैसले को गलत तरीके से लागू किया और विशिष्ट विशेषता पर ध्यान देने में विफल रहे, अर्थात् वर्तमान मामले में, यह आयकर रिटर्न पर निर्भरता का मामला नहीं था, बल्कि रिटर्न एक न्यायिक जांच के अधीन थे।
- (v) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226, 227 और सि.प्र.सं. की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय को आरोप मुक्त करने के लिए अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में अभियुक्त द्वारा रखी गई सामग्री को देखने की शक्ति है।

20. दोनों अपीलकर्ताओं के लिए, राधेश्याम केजरीवाल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य, (2011) 3 एस.सी.सी. 581, आशु सुरेन्द्रनाथ तिवारी बनाम सीबीआई और अन्य (2020) 9 एस.सी.सी. 636 और जे सेकर बनाम प्रवर्तन निदेशालय, (2022) 7 एस.सी.सी. 370 पर भरोसा किया गया था, यह तर्क देने के लिए कि जहां एक नागरिक न्यायाधिकरण में योग्यता के आधार पर दोषमुक्ति होती है, तथ्यों और परिस्थितियों के एक ही सेट पर आपराधिक अभियोजन जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि आपराधिक मामलों में सबूत का मानक अधिक है।

21. अपीलकर्ताओं की प्रस्तुतियों का विद्वान श्री नटराज द्वारा जोरदार खंडन किया गया था। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने इस प्रकार तर्क दिए हैं :

- (i) आरोप निर्धारण करने के चरण में जो प्रासंगिक है वही सामग्री है जो आरोप निर्धारित किए जाने की तिथि को उपलब्ध है;
- (ii) यह कि किसी न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह आरोप निर्धारित किए जाने के चरण में साक्ष्य का मूल्यांकन करे जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि प्रस्तुत की गई सामग्री अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त है या नहीं;
- (iii) यह स्थापित कानून था कि अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के परिभाष्य मूल्य पर आरोप विरचित किए जाने के चरण में विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि न्यायालय लघु विचारण नहीं कर रहा था;
- (iv) श्रीराज सिंह अहलावत और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2013) 11 एस.सी.सी. 476 पर भरोसा करते हुए, यह तर्क दिया गया था कि यह सब यह देखा जाना चाहिए कि क्या यह मानने का आधार है कि अपराध किया गया है और यह नहीं कि क्या अभियुक्त को दोषी ठहराने का आधार था;
- (v) यहां तक कि किसी सामग्री पर आधारित एक मजबूत संदेह भी, जो न्यायालय को अपराध के तथ्यात्मक तत्वों के अस्तित्व के बारे में एक अनुमानात्मक राय बनाने के लिए प्रेरित करता है, आरोप के गठन को उचित ठहराएगा।

- (vi) आयकर अपीलीय अधिकरण के दिनांक 21-08-2007 के आदेश पर लगाया गया विश्वास आरोप विरचित किए जाने के बाद का है और अन्यथा भी अभियुक्त को आरोपमुक्त करने का आधार नहीं हो सकता;
- (vii) आपराधिक अभियोजन आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश पर निर्भर नहीं करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभियोजन आयकर प्राधिकारियों और आयकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष पक्षकार नहीं था और न ही हो सकता था;
- (viii) आयकर अपील अधिकरण के आदेश, यदि कानून में अनुमेय हो, को साक्ष्य के एक भाग के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और आयकर अपीलीय अधिकरण के आदेश का दांडिक न्यायालय द्वारा आरोप विरचित आदेश को रद्द करने का प्रभाव नहीं होगा। सेल्वी जे. जयललिता(पूर्वोक्त), विश्वनाथचतुर्वेदी (3) बनाम भारत संघ और अन्य, (2007) 4 एस.सी.सी. 380 और तमिलनाडु राज्य बनाम एन सुरेश राजन और अन्य, (2014) 11 एस.सी.सी. 709 पर यह तर्क देने के लिए भरोसा किया गया है कि आयकर अधिकारियों के निष्कर्ष आय के स्रोत की वैधता या कानूनन को आसानी से स्वीकार करने के लिए आपराधिक न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं हैं।
- (ix) किसी कार्यवाही को रद्द करने और उसे आरंभ में ही समाप्त करने की शक्ति का प्रयोग बहुत सावधानी और सावधानी से किया जाना चाहिए।
- इसलिए तर्क देते हुए, विद्वान अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल ने प्रार्थना की कि आरोप पर आदेश को रद्द करने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है और आरोप और अपील खारिज करने के योग्य हैं।

प्रश्न:

22. उपरोक्त परिस्थितियों में, विचारणीय प्रश्न यह उठता है कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 21.02.2006 के आरोप पर आदेश और 28.02.2006 को लगाए गए आरोपों को रद्द करने और रद्द करने से इनकार करना न्यायोचित था?

विश्लेषण:

23. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, हमारी राय है कि अपीलकर्ताओं ने 21.02.2006 के आरोप पर आदेश और 28.02.2006 के आरोप तय करने के आदेश में हस्तक्षेप का मामला नहीं बनाया है। हम निम्नलिखित कारणों से ऐसा कहते हैं।
24. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अपीलकर्ता पुनीत सभरवाल के पिता अपीलकर्ता आर.सी. सभरवाल के पास **2,05,63,341/-** रुपए की संपत्ति है और यह उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक है, जिसकी गणना **1,23,18,091/-** रुपए की गई थी। पुत्र पुनीत सभरवाल के खिलाफ आरोप यह था कि उन्होंने स्पेशल बियरर बॉन्ड के नकदीकरण के माध्यम से **79** लाख रुपए प्राप्त किए थे और उन्होंने अपराध को अंजाम देने में मदद की, क्योंकि अपीलकर्ता आर.सी. सभरवाल ने मेसर्स मोरनी देवी बृज लाल ट्रस्ट, मैसर्स मोरनी मर्चेण्ट्स और अन्य फर्मों के नाम पर संपत्ति अर्जित की थी, जिसमें एकमात्र लाभार्थी अपीलकर्ता पुनीत सभरवाल था। आरोप तय करने वाले आदेश में पुनीत सभरवाल के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा **109** को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा **13(1)(ड.)** के साथ पढ़ा जाना चाहिए।
25. अपीलकर्ताओं की दलीलों का मुख्य आधार यह है कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के दिनांक 31.08.2007 के आदेश में करदाताओं की अपीलों

को स्वीकार करते हुए तथा विभाग की जवाबी अपीलों को खारिज करते हुए (कुछ हद तक, जो 30.12.2009 के कर निर्धारण आदेश के साथ ही सुलझ गई) यह माना गया है कि मोरनी लाल बृज ट्रस्ट जैसी संस्थाओं की आय और परिसंपत्तियों को आर.सी. सभरवाल की आय में जोड़ने का कोई मामला नहीं बनता। इसी के मद्देनजर, यह तर्क दिया गया है कि आय से अधिक संपत्ति रखने के लिए उन पर मुकदमा चलाने का कोई मामला नहीं है।

26. यह तर्क दिया जाता है कि *अपने आप में* आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के परिणामस्वरूप कार्यवाही रद्द हो जानी चाहिए और अभियुक्त को बरी कर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह तर्क दिया जाता है कि इस आधार पर कि अपीलकर्ताओं के पक्ष में समान कर कार्यवाही समाप्त हो गई है, समान तथ्यों पर एक आपराधिक वाद जारी नहीं रह सकता है। इसके लिए, ऊपर उल्लिखित निर्णयों पर भरोसा किया जाता है।
27. हम पहले ही 31-08-2007 के आयकर अपीलीय अधिकरण के आदेश की विषयवस्तु पर चर्चा कर चुके हैं। कानून में, अपीलकर्ताओं की प्रस्तुतियाँ दोनों मामलों में विफल होनी चाहिए क्योंकि इस मामले में आपराधिक अभियोजन को समाप्त करने का कोई आधार नहीं है।
28. जहां तक आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के 31.08.2007 के आदेश के मद्देनजर आपराधिक कार्यवाही के प्रभाव की समाप्ति के बारे में प्रथम तर्क का संबंध है, हम प्रत्यर्थी सी.बी.आई. के इस निवेदन को स्वीकार करते हैं कि सेल्वी जे. जयललिता (पूर्वोक्त) में दिए गए निर्णय के साथ समाप्त होने वाले न्यायालय के पूर्व निर्णयों में स्पष्ट रूप से अपीलकर्ताओं के विरुद्ध मुद्दे का निष्कर्ष निकाल दिया है।

29. यह न्यायालय, सेल्वी जे. जयललिता (पूर्वोक्त) में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत आय से अधिक संपत्ति के मामले में पारित बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील से संबंधित था। इसमें आरोपी व्यक्तियों ने आयकर रिटर्न और आयकर निर्धारण आदेशों पर भरोसा करने की मांग की थी। उस संदर्भ में न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला था कि आयकर रिटर्न और आदेश अपने आप में निर्णायक सबूत नहीं हैं कि वे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत आय के वैध स्रोत हैं और इसकी पुष्टि के लिए स्वतंत्र साक्ष्य की आवश्यकता होगी। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

"188. *अनंतराम वीरसिंहैया एंड कंपनी बनाम सीआईटी, 1980 पू. एस.सी.सी. 13: 1980 एस.सी.सी. (कर) 274*] में, याचिकाकर्ता करदाता, जो एक आबकारी ठेकेदार था, द्वारा दाखिल रिटर्न को आई.टी.ओ. द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि अन्य बातों के अलावा, प्रकट उपलब्ध नकदी पर अतिरिक्त व्यय ध्यान देने योग्य था और इसके अलावा दूसरों के नाम पर कई जमा किए गए थे। करदाता का स्पष्टीकरण कि अतिरिक्त व्यय अन्य दुकानदारों द्वारा उसके पास जमा की गई राशि से पूरा किया गया था, लेकिन उसकी पुस्तक में दर्ज नहीं किया गया था, स्वीकार नहीं किया गया और उसके खिलाफ शास्ति कार्यवाही की गई, जिसमें माना गया कि नकद घाटे और नकद जमा की मदें पुस्तकों में उल्लिखित दबी हुई उपज और कम बिक्री दरों के परिणामस्वरूप छिपी हुई आय का प्रतिनिधित्व करती हैं। हालांकि, अपीलीय न्यायाधिकरण ने करदाता की अपील को स्वीकार कर लिया और शास्ति आदेश को रद्द

कर दिया। उच्च न्यायालय ने अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले को पलट दिया [सीआईटी बनाम अनंतराम वीरसिंहैया एंड कंपनी, 1971 एस.सी.सी. ऑनलाइन एपी 262: (1975) 99 आईटीआर 544] और मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया। ।

189. यह माना गया था कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271 (1) (ग) के अनुसार, उस मामले में जुर्माना लगाया जा सकता है जहां किसी भी व्यक्ति ने अपनी आय के विवरण छिपाए हैं या जानबूझकर ऐसी आय का गलत विवरण प्रस्तुत किया है। संबंधित कार्यवाही प्रकृति में अर्ध-आपराधिक थी और यह स्थापित करने के लिए बोझ राजस्व पर था कि विवादित राशि आय का प्रतिनिधित्व करती है और निर्धारिती ने जानबूझकर अपनी आय के विवरण को छुपाया था या जानबूझकर गलत विवरण प्रस्तुत किया था। शास्ति कार्यवाही में सबूत का बोझ कर निर्धारण कार्यवाही में शामिल होने से भिन्न होता है और कर निर्धारण कार्यवाही में एक खोज होती है कि एक विशेष रसीद आय थी जिसे दंड कार्यवाही में उस प्रभाव के लिए एक खोज के रूप में स्वचालित रूप से नहीं अपनाया जा सकता है। दंड की कार्यवाही में, कर प्राधिकरण अपने समक्ष सामग्री पर मामले पर नए सिरे से विचार करने के लिए बाध्य था, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई विशेष राशि राजस्व प्राप्ति है। यह देखा गया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि निर्धारण वर्ष में यह निष्कर्ष शामिल है कि विवादित राशि आय का प्रतिनिधित्व करती है, शास्ति कार्यवाही में अच्छे साक्ष्य का गठन करती है, लेकिन कर निर्धारण कार्यवाही में निष्कर्ष को दंड कार्यवाही के उद्देश्य से

निर्णायक नहीं माना जा सकता है। जुर्माना लगाए जाने से पहले, परिस्थितियों की संपूर्णता को ध्यान में रखा जाना चाहिए और इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि विवादित राशि आय का प्रतिनिधित्व करती है और निर्धारिती ने जानबूझकर अपनी आय के विवरण को छुपाया था या जानबूझकर गलत विवरण प्रस्तुत किया था।

190. निर्णय यह बताने के लिए है कि हालांकि आईटी रिटर्न और तत्काल मामले में आईटी कार्यवाही में पारित आदेशों ने संबंधित अभियुक्तों की आय को उनके रिटर्न में खुलासा किया है, उनके खिलाफ लगाए गए आरोप के मददेनजर, इस तरह के रिटर्न और आईटी कार्यवाही में आदेश स्वयं यह स्थापित नहीं करेंगे कि ऐसी आय वैध स्रोत से हुई थी जैसा कि धारा 13 (1) (ड.) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 10 (2) के तहत एक स्वतंत्र साक्ष्य की आवश्यकता होगी और इसके लिए स्वतंत्र साक्ष्य की आवश्यकता होगी।

191. यद्यपि साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 43 के इर्द-गिर्द केंद्रित तर्कों के दौरान काफी आदान-प्रदान किया गया था, हम इस समझ के हैं कि उन्हें विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। यह करने के लिए पर्याप्त है यह कहते हुए भी कि यह मानते हुए कि आयकर रिटर्न, उसके संबंध में कार्यवाही और उसमें दिए गए निर्णय साक्ष्य में भी प्रासंगिक और स्वीकार्य हैं, ऐसा कुछ भी निश्चित रूप से नहीं होता है क्योंकि वे आय के स्रोत (ओं) की वैधता की कोई गारंटी या प्रमाणीकरण प्रस्तुत नहीं करते हैं, प्रत्यर्थियों के खिलाफ लगाए गए आरोप का सार. यह बचाव पक्ष की

दलील है कि आयकर रिटर्न और आदेश, जबकि आरोपी व्यक्तियों द्वारा साबित किए गए थे, अभियोजन पक्ष द्वारा आपति नहीं की गई थी और आगे इसने (अभियोजन) ने आयकर रिटर्न/आदेशों को साक्ष्य में बुलाया था और इस प्रकार, यह बचाव पक्ष द्वारा पेश किए गए रिकॉर्ड की स्वीकार्यता पर आपति नहीं कर सकता है। दोहराने के लिए, भले ही ऐसे रिटर्न और ऑर्डर स्वीकार्य हों, संभावित मूल्य प्रस्तुत जानकारी की प्रकृति, आदेशों में दर्ज निष्कर्षों और लगाए गए आरोप पर असर डालने पर निर्भर करेगा। हालांकि, इस मामले के किसी भी दृष्टिकोण में, इस तरह के रिटर्न और आदेश वास्तव में या तो निर्णायक रूप से आरोप को साबित या अस्वीकार नहीं करेंगे और अधिक से अधिक सबूत के टुकड़े हो सकते हैं जिनका कर निर्धारण अभिलेख पर अन्य सामग्रियों के साथ किया जाना है। उल्लेखनीय रूप से, प्रत्यर्थियों में से किसी को भी मामले में शपथ पर जांच नहीं की गई है। इसके अलावा, बचाव पक्ष द्वारा जिन आयकर रिटर्न पर भरोसा किया गया था और साथ ही उससे संबंधित कार्यवाही में पारित आदेशों को आरोप-पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद दायर/पारित किया गया था। गौरतलब है कि आरोपियों के खिलाफ साजिश रचने और उकसाने का आरोप है। इसलिए समग्र परिप्रेक्ष्य में न तो आयकर रिटर्न और न ही कार्यवाही में पारित आदेश, या तो निश्चित रूप से आरोपी व्यक्तियों की आय के स्रोतों की वैधता को प्रमाणित करते हैं या अधिनियम की धारा 13 (1) (ड.) द्वारा अनिवार्य रूप से उनके आर्थिक संसाधनों और संपत्तियों की अनुपातहीनता को संतोषजनक ढंग से खाते में रखने के लिए उनके लिए कोई लाभ नहीं हैं।

199. इस निर्णय का आयात यह है कि कर व्यवस्था में, लाभ या हानि उत्पन्न करने वाले लेनदेन की वैधता या अवैधता इस मुद्दे पर असंगत है कि आय वैध स्रोत से है या नहीं। कर निर्धारण कार्यवाही में संवीक्षा का निदेश केवल कराधेय आय की मात्रा निर्धारित करने के लिए किया जाता है और उसमें पारित आदेश ऐसा नहीं करते हैं प्रमाणित या प्रमाणित करें कि स्रोत वैध हैं और इस प्रकार अधिनियम की धारा 13 (1) (ड.) के तहत आरोप की तुलना में कोई महत्व नहीं है।

200. विश्वनाथ चतुर्वेदी (3) बनाम भारत संघ, (2007) 4 एस.सी.सी. 380: (2007) 2 एस.सी.सी. (आप.) 302] में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें भारत संघ को 1988 के अधिनियम के तहत प्र.-2 से प्र.-5 तक के अभियोजन के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए एक उचित रिट की मांग की गई थी, जिसमें उनकी शक्ति और अधिकार का दुरुपयोग करके आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति जमा की गई थी। प्रत्यर्थी उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री और उनके रिश्तेदार थे। यह ध्यान में रखते हुए कि मूल मुद्दा कथित निवेश और ऐसे निवेशों के स्रोतों से संबंधित था, न्यायालय द्वारा प्र. 2 से 5 को संबंधित कर निर्धारण वर्षों के आयकर और संपत्ति कर रिटर्न जिसे पूरा किया जा चुका है उनकी प्रतियां दाखिल करने का आदेश दिया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से यह बताया गया कि परिवार की शुद्ध संपत्ति हालांकि 9,22,72,000 रुपये थी, आधिकारिक मूल्यांकनकर्ता द्वारा की गई गणना के अनुसार, शुद्ध संपत्ति का तत्कालीन

मूल्य 24 करोड़ रुपये था। प्रत्यर्थियों की ओर से यह दलील दी गई थी कि आयकर रिटर्न पहले ही दाखिल किए जा चुके हैं और मामले संबंधित अधिकारियों के समक्ष लंबित हैं और सभी भुगतान चेक द्वारा किए गए थे, और इस प्रकार उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं। यह देखा गया कि पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विवरणों का कार्यवृत्त और आयकर रिटर्न और कर निर्धारण आदेश, बिक्री विलेख, आदि को केवल चार्टर्ड एकाउंटेंट और अन्य मान्यता प्राप्त इंजीनियरों और संपत्ति के मूल्यांकनकर्ता की सहायता से एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा सावधानीपूर्वक देखा और विश्लेषण किया जाना आवश्यक था। यह पाया गया कि आयकर विभाग का संबंध केवल आय के स्रोत से है और कर का भुगतान किया गया है या नहीं इससे ही है और इसलिए न्यायालय के निदेश पर केवल एक स्वतंत्र संस्था अथवा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ही आय से अधिक सम्पत्ति के प्रश्न का निर्धारण कर सकता है। इस प्रकार सी.बी.आई. को सभी प्रत्यर्थियों की संपत्ति की प्रारंभिक जांच करने और इस मामले में आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था कि क्या कोई मामला बनाया गया था या नहीं।

201. यह निर्णय इस बात पर जोर देने के लिए है कि आयकर रिटर्न प्रस्तुत करना और उस पर पारित कर निर्धारण आदेश, भ्रष्टचार निवारण अधिनियम के तहत अपेक्षित आय के ज्ञात वैध स्रोतों से अधिक संपत्ति के अधिग्रहण के आरोप के खिलाफ एक मूर्खतापूर्ण बचाव का गठन नहीं करेगा और यह कि आगे की जांच/विश्लेषण यह निर्धारित करने के लिए अनिवार्य है कि भ्रष्टचार निवारण अधिनियम द्वारा अपेक्षित अपराध किया गया है या नहीं।

30. यहां अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया है कि जे. जयललिता (पूर्वोक्त) में निर्णय वर्तमान मामले पर लागू नहीं होगा, क्योंकि उनके अनुसार, उस निर्णय में केवल कर निर्धारण आदेश शामिल था, जबकि वर्तमान मामले में शामिल मुद्दों की जांच के बाद अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा निष्कर्ष शामिल हैं। अपीलकर्ता इसके समर्थन में जे. जयललिता (पूर्वोक्त) में निर्णय के पैराग्राफ 309 पर भरोसा करना चाहते हैं। अनुच्छेद 309 इस प्रकार है:

"309. विरोधाभास में, उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से आयकर रिटर्न और उस पर पारित अधिकारियों के आदेशों का हवाला देते हुए उपहारों की राशि 1.5 करोड़ रुपये निर्धारित की। न्यायालय ने नोटिस किया कि आयकर रिटर्न जमा करने में देरी हुई है, लेकिन आयकर अधिकारियों के आदेश पर कार्रवाई करते हुए बचाव पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया। ऐसा लगता है कि इस विवाद से भी आश्वस्त हो गया है कि राज्य में राजनीतिक नेताओं को उनके जन्मदिन पर उपहार देने की प्रथा थी। न केवल उच्च न्यायालय का अंतिम निष्कर्ष बल्कि विचारण न्यायालय के श्रेणीगत निष्कर्ष को पलटने के लिए साक्ष्यों का भी स्वतंत्र निर्धारक इसके विरुद्ध है, इसके लिए कोई ठोस या प्रेरक कारण भी सामने नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए भी यह महत्त्व रखता है कि आयकर प्राधिकारियों/मंचों के निष्कर्ष आपराधिक न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं हैं कि वह किसी निर्धारिती द्वारा आयकर विवरणियों में उल्लिखित आय के स्रोत की वैधानिक अथवा कानूनन उससे संबंधित अभिलेख पर सामग्री के

अंतर्निहित गुणावगुण की जांच के बिना आसानी से स्वीकार करे। न केवल इस पहलू को उच्च न्यायालय द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था, बल्कि ऐसा लगता है कि इस संबंध में पक्षकारों द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के निर्धारण के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है, ताकि आत्म-निहित और दृढ़ निर्धारण किया जा सके।

31. ये प्रस्तुतियाँ निम्नलिखित कारणों से हमें अपील नहीं करती हैं:

- (i) सबसे पहले, उक्त निर्णय के पैराग्राफ 309 में उल्लिखित जांच, आपराधिक न्यायालय द्वारा की जाने वाली जांच है। उपर्युक्त पैराग्राफ के पूर्ण पठन से यह स्पष्ट है। उस मामले में, उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों को बरी करते हुए केवल आयकर अभियुक्तों द्वारा प्रस्तुत किए गए आयकर अभिलेखों को देखा था। हालांकि, विचारण न्यायालय ने स्वतंत्र रूप से इस मुद्दे की जांच की थी और आयकर रिकॉर्ड के अनुसार यांत्रिक रूप से नहीं गया था। इस पर टिप्पणी करते हुए इस न्यायालय ने कहा कि सामग्री पर एक जांच की जानी चाहिए थी।
- (ii) दूसरा, जे. जयललिता (पूर्वोक्त) मामले में इस न्यायालय ने आयकर विवरणियों के संभावित मूल्य के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले, इस न्यायालय के पिछले निर्णयों की विस्तार से जांच की है जहां न केवल कर निर्धारण आदेश थे बल्कि अपीलीय अधिकरण और उच्च न्यायालय के निर्णय भी थे। इस पहलू पर विचार करने के बाद ही न्यायालय ने निर्धारित किया कि आयकर रिटर्न और आई.टी. कार्यवाही में पारित आदेश निर्णायक प्रमाण नहीं हैं।

- (iii) तीसरा, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि जबकि आयकर रिटर्न/आदेश साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हो सकते हैं, इसका संभावित मूल्य प्रस्तुत की गई जानकारी की प्रकृति और आदेश में दर्ज निष्कर्षों पर निर्भर करेगा, और वास्तव में या तो *निर्णायक रूप से साबित नहीं होगा या आरोप का खंडन नहीं करेगा*।
- (iv) चौथा, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि [जे. जयललिता \(पूर्वोक्त\)](#) मामले में निर्णय एक पूर्ण परीक्षण से संबंधित था और न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा पारित बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रहा था। न्यायालय ने यह भी कहा कि आयकर रिटर्न या जारी आदेश अधिकतम साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये जा सकते हैं जिनका मूल्यांकन रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सामग्रियों के साथ किया जाना चाहिए।
- (v) इस न्यायालय ने, उन मामलों में जिनमें या तो आरोप मुक्त करना शामिल है [*तमिलनाडु राज्य बनाम एन. सुरेश राजन एवं अन्य (2014) 11 एससीसी 709 पैराग्राफ 32.3*] या रद्द करना [*सी.बी.आ.ई एवं अन्य बनाम थोम्माद्रु हन्ना विजयलक्ष्मी एवं अन्य (2021) 18 एससीसी 135 पैराग्राफ 63-64*] ने नोट किया है कि आयकर रिटर्न निर्णायक सबूत नहीं हैं, जिस पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने या आरोपी व्यक्तियों को आरोप मुक्त करने के लिए भरोसा किया जा सके।

32. इसलिए, वर्तमान मामले में, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश और बाद के आकलन आदेश सहित आयकर अधिकारियों के आदेशों के संभावित

मूल्य, आरोपी व्यक्तियों के निर्वहन के लिए भरोसा किया जा सकता है जो निर्णायक सबूत नहीं हैं. ये आदेश, उनके निष्कर्ष और उनके संभावित मूल्य, एक पूर्ण परीक्षण के लिए एक मामला हैं। उसी के मददेनजर, उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले में, आयकर अधिकारियों के आदेशों के आधार पर अपीलकर्ताओं को बरी नहीं किया है।

33. जहां तक यह प्रस्तुत करना है कि जहां सिविल अधिनिर्णय में दोषमुक्ति है, तथ्यों और परिस्थितियों के एक ही सेट पर आपराधिक अभियोजन को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, वह भी योग्यता के बिना है जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है।

34. यहां अपीलकर्ताओं ने राधेश्याम केजरीवाल (पूर्वोक्त), आशू सुरेंद्रनाथ तिवारी (पूर्वोक्त) और जे. सेकर (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया है कि एक बार सिविल अधिनिर्णय में योग्यता के आधार पर दोषमुक्ति हो जाने के बाद, तथ्यों और परिस्थितियों के एक ही सेट पर आपराधिक अभियोजन को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हमारी राय में, उपरोक्त संदर्भित निर्णयों में से कोई भी वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

35. राधेश्याम केजरीवाल (पूर्वोक्त) में, यह न्यायालय एक तथ्य की स्थिति से संबंधित था, जहां याचिकाकर्ता पर भारतीय मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के तहत भारतीय मुद्रा के बदले भारतीय मुद्रा में किए गए भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से किसी भी सामान्य या विशिष्ट छूट के बिना वाद चलाया जा रहा था। प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उपबंधों के अंतर्गत न्यायनिर्णयन कार्यवाही और अभियोजन दोनों

की शुरुआत की थी। यह ऐसा हुआ कि निर्णायक अधिकारी ने पाया कि याचिकाकर्ता के कथित लेनदेन में प्रवेश करने के मूलभूत तथ्य को साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, जो अधिनियम से गलत हो गया और उसके बाद निर्देश दिया कि कार्यवाही को रोक दिया जाए। इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो प्रश्न आया वह यह था कि क्या इस अधिनिर्णय कार्यवाही के परिणाम से याचिकाकर्ता को आपराधिक अभियोजन से बरी कर दिया जाएगा।

36. इस पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय ने देखा कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के तहत अधिनिर्णय कार्यवाही में इस बात पर अधिनिर्णय कि क्या किसी व्यक्ति ने अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया है। यह इस संदर्भ में है, कि न्यायालय ने कहा कि जहां अभियोजन के लिए एक न्यायिक कार्यवाही और कार्यवाही में आरोप समान हैं और पूर्व में दोषमुक्ति योग्यता के आधार पर है अर्थात् अधिनियम के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं है, तो संबंधित व्यक्ति का परीक्षण न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

37. राधेश्याम (पूर्वोक्त) में निर्णय एक ऐसी तथ्य स्थिति में था जहां एक ही अधिनियम के तहत शक्तियों के प्रयोग में एक ही प्राधिकरण द्वारा न्यायिक और आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा रही थी। इसके अलावा, जैसा कि इस न्यायालय ने उल्लेख किया था, सिविल अधिनिर्णय की कार्यवाही एक अधिनिर्णय से संबंधित थी कि क्या अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत नियमों का उल्लंघन हुआ था, जिसका अधिनियम के तहत अभियोजन पर प्रभाव पड़ा था। हालांकि, वर्तमान मामले में, अपीलकर्ताओं पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत वाद चलाया जा रहा है, जबकि वे

आयकर अधिनियम के तहत दोषमुक्ति पर भरोसा करना चाहते हैं। इन दोनों कार्यवाहियों में अधिनिर्णय का दायरा काफी अलग है। आयकर कार्यवाही का संचालन करने वाला प्राधिकरण और अभियोजन का संचालन करने वाला प्राधिकरण पूरी तरह से अलग है (सी.बी.आई.)। सी.बी.आई. आयकर कार्यवाही में पक्षकार नहीं थी और न ही हो सकती थी। उक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को देखते हुए, राधेश्याम (पूर्वोक्त) में निर्णय वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है।

38. आशू सुरेन्द्रनाथ (पूर्वोक्त) मामले में याचिकाकर्ता भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में डीजीएम के पद पर कार्यरत था, जबकि बैंक से धन का व्यपवर्तन किया जा रहा था। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप यह था कि उसने उस खाते के आर.टी.जी.ए.स विवरण को साझा किया था, जिसमें राशि व्यपर्त की गई थी, जो कि अपराध का कथित सरगना था। बैंक के सक्षम प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ वाद चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था, जिसका समर्थन केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट द्वारा किया गया था। इसलिए न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठाया गया कि क्या केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता को आरोपमुक्त किया जाना चाहिए।

39. उपर्युक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के निष्कर्षों को निर्धारित किया, जिसमें दर्ज किया गया था कि याचिकाकर्ता द्वारा भेजा गया ई-मेल स्पष्ट रूप से सत्यापन के उद्देश्य से मुख्य अभियुक्त को भेजा गया था क्योंकि बाद वाला सत्यापन के लिए अधिकारी था और इससे पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने अपराध करने में कोई भूमिका नहीं निभाई थी। इसके बाद, राधेश्याम (पूर्वोक्त) के फैसले पर भरोसा

करते हुए, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि आरोप "बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं" पाया गया है, इसलिए आपराधिक वाद जारी नहीं रखा जा सकता है।

40. आशू सुरेंद्रनाथ (पूर्वोक्त) में निर्णय वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है क्योंकि आशू सुरेंद्रनाथ (पूर्वोक्त) में निर्णय भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत एक विलक्षण अभियोजन से संबंधित था, जहां मंजूरी देने वाले प्राधिकारी ने मंजूरी से इनकार करते हुए, योग्यता के आधार पर दर्ज किया था कि अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था। उस संदर्भ में, न्यायालय की राय थी कि एक आपराधिक कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती है। हालांकि, वर्तमान मामले में, आरोप, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत तय किए गए थे, जबकि अपीलकर्ता आयकर अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा दर्ज निष्कर्षों पर भरोसा करना चाहते हैं। दोनों कार्यवाहियों में अधिनिर्णय का दायरा स्पष्ट रूप से भिन्न है और इसलिए बाद के निष्कर्ष पूर्व में आरोपी व्यक्तियों के निर्वहन का आधार नहीं हो सकते हैं। आयकर अधिनियम के तहत कार्यवाही और इसका साक्ष्य मूल्य परीक्षण का विषय बना हुआ है और उन्हें आरोपी व्यक्ति के आरोप मुक्त करने के लिए निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता है।

41. अपीलकर्ताओं ने आगे जे.सेकर (पूर्वोक्त) पर भरोसा करने की मांग की है ताकि यह तर्क दिया जा सके कि आयकर विभाग के पत्र पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अभियोजन को रद्द करने के लिए भरोसा किया गया था। हमारी राय में, यह निर्णय फिर से वर्तमान मामले में लागू नहीं है। जे.सेकर (पूर्वोक्त) मामले में, उनकी तलाशी के दौरान अनधिकृत नकदी और अन्य वस्तुओं की बरामदगी के संबंध में आयकर

विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर आपराधिक कार्यवाही शुरू हुई थी। ऐसा हुआ कि आयकर विभाग ने बरामद नकदी के संबंध में आरोपी के स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया, जिसके कारण आयकर कार्यवाही बंद हो गई। इसके बाद, यहां तक कि आपराधिक कार्यवाही के कारण इस आधार पर अंतिम रिपोर्ट दायर की गई कि अभियोजन को जारी रखने के लिए कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिला। धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाही, आयकर विभाग की तलाशी और प्राथमिकी दर्ज करने के बाद प्राप्त सूचना पर आधारित होने के कारण, न तो विभाग द्वारा और न ही आपराधिक कार्यवाही में कोई उल्लंघन पाए जाने के मद्देनजर आधारणीय पाई गई थी।

42. इसलिए जं. शेखर (पूर्वोक्त) में दिया गया निर्णय तथ्यों के आधार पर अलग है। उपर्युक्त मामले में, आयकर विभाग द्वारा न केवल इस आशय से दोषमुक्ति दी गई थी कि कोई मामला नहीं बनता, बल्कि अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक कार्यवाही में भी दोषमुक्ति दी गई थी। वर्तमान मामले में, आयकर अधिनियम के तहत कार्यवाही जिस पर भरोसा करने की मांग की जा रही है, वह कर दाता की आय के आकलन से संबंधित है, न कि आय के स्रोत और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आय से अधिक संपत्ति के आरोप से। उक्त आदेश वर्तमान मामले में आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने का आधार नहीं हो सकते।

43. हम इस स्तर पर परीक्षण का पूर्वाभ्यास नहीं कर रहे हैं। बरी करने के लिए लागू परीक्षण इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों की एक श्रृंखला द्वारा अच्छी तरह से तय किए गए हैं। यहां तक कि रिकॉर्ड पर सामग्री पर स्थापित एक मजबूत संदेह जो किसी अपराध के तथ्यात्मक अवयवों के

अस्तित्व को मानने के लिए आधार है, एक आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आरोप तय करने को सही ठहराएगा [ऑंकार नाथ मिश्रा और अन्य बनाम भारत संघ राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) और अन्य] (2008) 2 एस.सी.सी. 561 पैराग्राफ 11]। न्यायालय को केवल न्यायिक रूप से विचार करने की आवश्यकता है कि क्या सामग्री अभियोजन पक्ष के निर्णय को आँख बंद करके स्वीकार किए बिना आरोप तय करने की आवश्यकता है [कर्नाटक राज्य बनाम एल मुनिस्वामी और अन्य] (1977) 2 एस.सी.सी. 699 पैराग्राफ 10]। इन सिद्धांतों को वर्तमान मामले में लागू करते हुए, हम विद्वान अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल की इस दलील को स्वीकार करते हैं कि अपीलकर्ताओं ने यह कहने के लिए मामला नहीं बनाया है कि आरोप निराधार है।

44. अपीलकर्ता पुनीत सभरवाल के नाबालिग होने के बारे में अन्य तर्क को भी न्यायालय को हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि चेक अवधि के अंतिम सात वर्षों के दौरान यह स्वीकार किया गया है कि वह नाबालिग नहीं था। अपीलकर्ताओं को विचारण न्यायालय के समक्ष रखने के लिए सभी बचाव उपलब्ध हैं।
45. हमने ऊपर जो कुछ भी आयोजित किया है, उसके मददेनजर, हमें विद्वान अतिरिक्त सॉलीसिटर द्वारा उठाए गए तर्क का जवाब देने के लिए नहीं कहा जाता है कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण आदेश एक दस्तावेज है जो आरोप तैयार करने के बाद उभरा है, इसे बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।
46. उपरोक्त सभी कारणों से, हमें इन अपीलों में कोई योग्यता नहीं दिखती और अपीलें खारिज की जाती हैं। अंतरिम आदेश निरस्त किए जाते हैं। सभी

लंबित आवेदन बंद किए जाते हैं। मुकदमा लगभग 25 वर्षों से लंबित है। हम निर्देश देते हैं कि वाद को शीघ्रता से समाप्त किया जाए और किसी भी स्थिति में 31.12.2024 को या उससे पहले समाप्त किया जाए। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ केवल निर्वहन कार्यवाही के संदर्भ में हैं।

द हेडनोट्स तैयार किया गया : अंकित ज्ञान

मामले का परिणाम:
अपील खारिज कर दी गई।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.